परिशिष्ट : ए

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली। उपस्थित : मनोज कुमार तिवारी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश निर्णय की तिथिः–26.05.2026 सत्र वाद संख्या : 191/1993 जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–61/1992 **CNR- BRVA01-000006-1993**	
अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री ख्वाजा हसन खां
अभियुक्तगण	01–दीप राय, उम्र–85 वर्ष पे0–स्व0 रामयाद राय, 02–नकेश्वर राय, उम्र–59 वर्ष, पे0–स्व0 विलासी राय, 03–जगदीश राय उर्फ जीशा राय, उम्र–50 वर्ष, पे0–स्व0 सबल राय, 04–नरेश राय, उम्र–60 वर्ष, पे0–स्व0 नेउल राय, 05–नागदेव राय, उम्र–62 वर्ष, पे0–स्व0 विलासी राय सभी साकिन–राघोपुर, थाना–जुड़ावनपुर, जिला–वैशाली।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	1. श्री अनिल कुमार राकेश

अपराध की घटना तिथि	10.12.1992
प्राथमिकी की तिथि	11.12.1992
आरोप पत्र की तिथि	18-03-1993
संज्ञान की तिथि	31-05-1993
आरोप गठन की तिथि	09.12.2011
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	09.01.2012
निर्णय पर नियत की तिथि	13.05.2026
निर्णय की तिथि	26.05.2026

Web Copy not Official

दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	02.06.2026

परिशिष्ट : बी

<u>अभियुक्तगण का विवरणः–</u>

अभियुक्त का क्रमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	दीप राय,
गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	07.03.2011
जमानत पर मुक्त की तिथि	17.03.2011–19.01.2015
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147/149/148/307 एवं 27 आर्म्स एक्ट
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषसिद्व
दण्डादेश	भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास। भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	0 वर्ष 0 महीना 10 दिन

Web copy not Official

अभियुक्त का क्रमांक	A-2
अभियुक्त का नाम	नकेश्वर राय
गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	20.01.1993 – 07.03.2011
जमानत पर मुक्त की तिथि	30.03.1993 – 17.03.2011–
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147/149/148/307 एवं 27 आर्म्स एक्ट
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषसिद्व
दण्डादेश	भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास। भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	0 वर्ष 02 महीना 20 दिन

अभियुक्त का कमांक	A-3
अभियुक्त का नाम	जगदीश राय उर्फ जीशा राय
गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	20.01.1993 – 07.03.2011
जमानत पर मुक्त की तिथि	01.02.1993 –17.03.2011
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147/149/148/307 एवं 27 आर्म्स एक्ट
दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दोषसिद्ध
दण्डादेश	भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास। भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 वर्ष 00 महीना 22 दिन

Web Copy not Official

अभियुक्त का कमांक	A-4
अभियुक्त का नाम	नरेश राय,
गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	20.01.1993 – 07.03.2011
जमानत पर मुक्त की तिथि	01.02.1993 – 17.03.2011
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147/149/148/307 एवं 27 आर्म्स एक्ट
दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दोषसिद्ध
दण्डादेश	भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास। भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के	00 वर्ष 00 महीना 22 दिन

अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	

अभियुक्त का क्रमांक	A-5
अभियुक्त का नाम	नागदेव राय,
गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	20.01.1993 – 07.03.2011
जमानत पर मुक्त की तिथि	01.02.1993 – 17.03.2011
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147/149/148/307 एवं 27 आर्म्स एक्ट
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषसिद्व
दण्डादेश	भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास। भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	00 वर्ष 00 महीना 22 दिन

Web Copy not Official

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लू0–01	उदेश राय	साक्षी
पी0डब्लू0–02	तूफानी राय	साक्षी
पी0डब्लू0–03	अदालत राय	(सूचक) साक्षी
पी0डब्लू0–04	शंभू राय	साक्षी
पी0डब्लू0–05	जुलुम राय	साक्षी
पी0डब्लू0–06	राम किशुन राय	(पक्षद्रोही) साक्षी
पी0डब्लू0–07	नेवज राय	साक्षी
पी0डब्लू0–08	घोलट राय	साक्षी
पी0डब्लू0–09	हीरा राय	साक्षी
पी0डब्लू0–10	डॉक्टर कमल किशोर सिंह	(चिकित्सक) साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

Web Copy not Official

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श–01	सूचक अदालत राय का जख्म प्रतिवेदन
02	प्रदर्श–01/01	निकले हुए बुलेट को अनुसंधानकर्ता को सौंपने हेतु पत्र
03	प्रदर्श–02	शंभू राय का जख्म प्रतिवेदन
04	प्रदर्श–02/01	शंभू राय का एक्स–रे रिपोर्ट
05	प्रदर्श–03	उदेश राय का जख्म प्रतिवेदन
06	प्रदर्श–04	रामसखी देवी का जख्म प्रतिवेदन
07	प्रदर्श–05	जप्ती सूची

ख–बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

Nil	Nil	Nil

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

उपस्थित : **मनोज कुमार तिवारी,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।

Web Copy not Official

नि र्ण य

1. कुल सात अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, शेष बचे 05 अभियुक्तों का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147 / 149 / 148 / 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, घटना के एक दिन पूर्व लगभग चार बजे संध्या में रास्ता चलने को लेकर अभियुक्त सबल राय से बाताबाती हुई थी, जिसको लेकर गांव के लोग झगड़ा को शांत किये। घटना तिथि के दिन लगभग 7:00 बजे सुबह अभियुक्त जुंगी राय, सबल राय मिलकर रास्ता पर शीशा गाड़ रहे थे, जिस पर उदेश राय बोला कि शीशा क्यों गाड़ते हैं, ग्राम का रास्ता है। बाताबाती सबों से होने लगी। इतने में अभियुक्त सबल राय बोले कि साला नहीं मानेगा और सभी लोग घर चले गये और सबल राय अन्य अभियुक्तों के साथ अपने–अपने हाथ में राईफल, बंदूक, देशी पिस्तौल लिये दरवाजा के आगे भराव पर आ गये और आने के साथ सबल राय बोले कि गोली मारकर जान मार दो और अपने हाथ में लिये राईफल से शंभू राय को गोली मार दिया, जिससे बांया हाथ में लगा तथा जुंगी राय पिस्तौल से शंभू राय के सीना पर गोली मारा, जब उदेश राय बचाना चाहे कि भगलू राय बंदूक से बांया पैर पर गोली मारा तथा जीशा राय बंदूक से दाहिना पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। जब सूचक तथा रामसखी देवी बचाना चाहे तो नागदेव राय बांया हाथ में गोली मारकर जख्मी किया तथा नकेश्वर राय पिस्तौल से दाहिना हाथ एवं मुंह पर मारकर जख्मी किया। रामसखी देवी को नरेश राय ने दीप राय के ललकारने पर गोली मारा जिससे बांया हाथ के कलाई में लगा। गोली चलने के आवाज पर ग्राम के धीनी राय, रामकिशुन राय, नेवा राय, तेजू राय वगैरह लोग आये जो घटना को देखे हैं और अधिक मारपीट से बचाये।

3. सूचक के लिखित फर्दबयान पर दर्ज जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–61 / 1992, दिनांक–10.12.1992, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147 / 149 / 148 / 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अनुसंधानक द्वारा काण्ड सत्य पाते हुये विचारित 05 अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र सं0–10 / 1993, दिनांक–18.03. 1993 समर्पित किया गया है।

Web Copy not Official

4. समर्पित आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी पर सम्यक विचारोपरान्त इस मामले के विचारित उपरोक्त 05 अभियुक्तों के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147 / 149 / 148 / 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, दिनांक–31.05.1993 को संज्ञान लिया गया है तथा दिनांक–31.05.1993 को यह मामला विचारणार्थ सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया है।

5. विचारित 05 अभियुक्तों के विरूद्व दिनांक–09.12.2011 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147 / 149 / 148 / 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसका वह प्रत्याख्यान करते हुए विचारण का दावा किया।

6. अभियोजन की तरफ से इस मामले में कुल 10 साक्षियों का गवाही करायी गई है, जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–01 उदेश राय (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–02 तुफानी राय (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–03 अदालत राय (सूचक) (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–04 शंभू राय, (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–05 जुलुम राय, (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–06 रामकिशुन राय (पक्षद्रोही साक्षी) अभियोजन साक्षी सं0–07 नेवज राय, (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–08 घोलट राय, (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–09 हीरा राय (साक्षी), एवं अभियोजन साक्षी सं0–10 डॉ0 कमल कुमार सिंह (चिकित्सक) साक्षी हैं।

7. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत विलेखिय दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 07 प्रदर्श अंकित कराया गया है।

8. अभियोजन साक्ष्य बंद कर 05 अभियुक्तों का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत दिनांक–04.05.2016 को लिया गया, जिसमें वह अपने को निर्दोष बताते हुए कहा है कि अभियोजन का मामला झूठा है।

9. प्रतिरक्षा की तरफ से इस मामले में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारित अभियुक्तों के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है या नहीं ?

Web Copy not Official

म न्त व्य

11. अभियोजन की तरफ से अभियुक्त के विरूद्व इस मामले में विचारित आरोपों को साबित किये जाने हेतु जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उनमें **अभियोजन साक्षी सं0–01 उदेश राय (20.03.2021),** है, अपने साक्ष्य में कहा है कि 08 वर्ष 04 माह पूर्व की बात है। बृहस्पतिवार दिन समय–7:00 बजे सुबह में मैं उस समय अदालत राय के घर के निकट था। सकल राय, जुंगी राय, नकेसर राय, रास्ता पर शीशा फोड़ने लगे इस पर अदालत राय और हमने कहा कि रास्ते पर शीशा मत फोड़िये। इस पर सबल राय घर पर चले गये। सबल राय, जुंगी राय, नकेसर राय, नागदेव राय, भगलू राय, दीप राय, नरेश राय ये सभी लोग हथियार सकल राय के हाथ में राईफल, जुंगी राय के हाथ में पिस्तौल, भगलू राय के हाथ में बंदूक जीशा राय के हाथ में बंदूक, नागदेव राय के हाथ में बंदूक, नकेसर राय के हाथ में पिस्तौल, नरेश राय के हाथ में बंदूक था। शंभू राय के हाथ में गोली मारकर सबल राय बोले कि साले को गोली मार दो। इस पर शंभू राय को जुंगी राय ने सीना में पिस्तौल से मारा। भगलू राय हमें बांये पैर में गोली मारा। जीशा राय हमें बंदूक दाहिने पैर में मारा। रामसखी देवी ने कहना चाहा तो नागदेव ने बंदूक से गोली मारा। रामसखी को नकेसर ने गोली दाहिना हाथ में मारा। दीपा राय के ललकारने पर नरेश राय ने रामसखी के बांये हाथ की कलाई में गोली मारी, उसे मुंह में लगा। गांव के लोग रामकिशुन राय, घोलट राय, नेवज राय, तुफानी राय वहां आये। हमलोगों को थाना पर उठाकर ले गया। थाना के बाद डॉक्टर के यहां गये। वहां सभी जख्मियों का इलाज हुआ। अभियुक्तों को पहचानता हूं। आज सबल राय उपस्थित है, जो नहीं आये है, उनको भी पहचानता हूं।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–15, 16 एवं 17 में इस साक्षी ने बताया है कि अदालत राय पट्टीदारी में चाचा लगते हैं, उनकी खेतीबारी, घर–द्वार से कोई मतलब नहीं है। लगभग आठ बजे घटना के दिन ही पुलिस को बयान दिया। उस दिन शंभू राय, रामसखी देवी आयी थी। दोबारा पुलिस गांव में एक–दो दिन बाद गयी थी। मेरा बयान थाना पर ही हुआ। घटना के बाद पहली बार पुलिस दो दिन बाद गांव में गयी। घटना के

दिन भी गयी। कंडिका–18, 19 एवं 20 में कहा है कि पुलिस को मारपीट का स्थान दिखलाया था। मारपीट के स्थान में एक तरफ में गेहूं तथा एक तरफ आलू लगा था। गेहूं का पौधा एकदम छोटा था। खेत में पानी नहीं पटा था। दोनों खेत जोत कर बोया गया था। कितना रोज पहले जोता, नहीं कह सकते हैं। खेत में पैर का निशान देखा था। आलू, गेहूं सब धस गया था। पुलिस ने घटनास्थल को देखा था। जिनको गोली उनके बदन से खून मिला था। गंजी पर भी खून गिरा था। थोड़ी दूर में नहीं पता कहां गिरा था, खून गिरता ही था। बांधने तक खून गिरा। अस्पताल तक थोड़ा गिरते गया। दरोगाजी ने खून देखा था। जख्मी लोगों के बदन पर गंजी–कुर्ता, धोती था। कपड़ों में भी खून लगा था। कपड़ों में गोली लगने की जगह पर गोल निशान हो गया। कंडिका–21, 22, 23, 24, एवं 25 में कहा है कि सबसे अंत में रामसखी को मार लगी। कुल मारपीट दो–चार मिनट में हो गयी। रामसखी को गोली लगने पर रामकिशुन राय, घोलट राय, नेवज राय, तुफानी राय आये। वहां से अदालत राय का घर एक दम बगल में ही उनके परिवार में उस दिन चार औरतें, तीन मर्दे तथा उनके पिताजी थे। उसके बाद उनके घर के लोग आये। घटना के बाद अदालत राय घर के लोगों से बातचीत की कि मेरे परिवार ही हैं। घटनास्थल वाली चौहद्दी में मुदालह की जमीन है। गेहूं वाला खेत उन्हीं लोगों का है। नया केवाला लिये हैं। घटना के 5–10 साल पहले लिये थे। कंडिका–26, 27, 28, 29 एवं 30 में कहा है कि आलू वाली जमीन मुदई की है, जो उनकी खानदानी जमीन है। घटना के पहले मुदई–मुदालह में कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं था। घटना वाली जमीन से सरकारी सड़क उत्तर तरफ 15–20 रस्सी की दूरी में है। गांव की सड़क भी घटनास्थल से पूरब है, 8–10 रस्सी पर है। गांव वाला रास्ता उसी रास्ता पर झगड़ा हुआ। यह चलने वाला रास्ता आलू, गेहूं के खेत से होकर ही है। अदालत राय का घर घटनास्थल से सटे पूरब ही है, सब देखा था। सबल राय शीशा फोड़ने लगे, उसी समय से हम वहां थे, बगल में मेरा घर ही है। आलू वाले खेत के आगे मेरा खेत है। अगल–बगल मेरा खेत है। अदालत राय के खेत के पूरब चौहद्दी में मेरा खेत है। कंडिका–31, 32 एवं 33 में कहा है कि गोली चलाने वाला तथा गोली खाने वाले के बीच में लगभग 8–10 हाथ की दूरी थी। गोली खाने वाला पश्चिम में था तथा गोली मारने वाला पूरब में था। पूरब–दखिन से मारा। गोली खाने वालों का चेहरा पूरब मुंह के थे। मारने वालों का मुंह पश्चिम रूख थे। घटना के पहले दोनों पार्टी में भेंट मुलाकात होती थी। मुदालह लोगों ने पहले ऐसा कोई काम नहीं किया था, जिससे अभियुक्तों को गुस्सा आये। ऐसा बयान दिया था कि नागदेव राय, रामसखी देवी के हाथ में गोली मारा। ऐसा भी बयान दिया था कि नकेसर ने पिस्तौल से मारा।

12. **अभियोजन साक्षी सं0–02 तुफानी राय (21.07.2001)** है, अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक–10.12.1992 की बात है। समय–7:00 बजे सुबह का था। उस समय मैं

Web copy not official

मिड्ल स्कूल पर से आकर दरवाजा पर तुरंत बैठा था। वहां पर सबल राय, भगलू राय, जुंगी राय, जिशा राय, नागदेव राय, दीपा राय, नरेश राय, नकेसर राय कुल 09 आदमी ये लोग बंदूक, राईफल, पिस्तौल लिये हुए थे। ये लोग मेरे दरवाजे पर आये। ये लोग रास्ते पर शीशा फेंके तो राम उदेश ने पूछा कि क्यों शीशा फेंका तो इस पर बाताबाती करने लगे। सबल राय ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, जान से मारो। सबल राय गोली मारे तो शंभू राय को बांये बांह पर लगा। जुंगी राय पिस्तौल से मारे तो शंभू राय के सीने पर लगा। राम उदेश राय बचाना चाहा तो भगलू राय बंदूक से राम उदेश राय को बांये पैर में गोली मारा। जिशा राय, उदेश राय को दाहिना पैर में गोली मारा। अदालत राय तथा मेरी मां रामसखी देबी बचाने गयी तो अदालत राय को नागदेव राय बांये पैर में पिस्तौल से गोली मारे। नकेसर राय ने गोली मारी पिस्तौल से तो अदालत राय को पैर तथा चेहरा पर लगा। दीप राय के कहने पर मेरी मां को नरेश राय ने पिस्तौल से मारा। अभियुक्तों को पहचानता हूं। आज सबल राय उपस्थित है, जो नहीं आये हैं उनको भी पहचानता हूं।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–12, 13, 14, 15 एवं 16 में इस साक्षी ने बताया है कि अदालत राय मेरा चचेरा भाई लगते हैं, उनका तथा मेरा एक ही आंगन में घर है। मेरे आंगन में 25 आदमी रहते हैं, सब मिलाकर चार पट्टीदार के लोग रहते हैं। मुदालह का घर हमारे घर से दखिन तरफ 30 लग्गी पर है। एक लग्गी में 10 हाथ होता है। मेरा टोला 12–13 हजार की बस्ती है, दो पंचायत हो गयी है। घर से आगे भराव है, वहीं पर घ टना घटी। पश्चिम घर है। घटना के समय परिवार के लोग घर पर थे। दो–चार आदमी माल खिला रहे थे। बृजनंदन राय, विश्वनाथ राय, भुल्लू राय माल खिला रहे थे। भराव पर ही मेरा बथान है। परिवार के लोगों का बथान लिया था, जो लोग थे, घटना देखे थे। भराव के बगल में मुदालह हमारा खेत है। भराव के बाद हमारा खेत है। पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। घटना के पहले मुदालहों से बाता–बाती हुई थी। कंडिका–17, 18, 19, 20 एवं 21 में कहा है कि बारी–बारी से सबको मार लगा। सभी जख्मी एक ही जगह नहीं थे। दौड़–दौड़ कर बथान आये। जख्मी लोग सब बचाने की कोशिश में गये थे। मुदालहों के आने से पहले सभी दरवाजे पर थे। मुदालहों को आते देखकर डर लगा। मेरे भराव से मुदालह लगभग 2–3–4 लग्गी की दूरी पर थे तो उनलोगों पर नजर पड़ी। एक के बाद तीसरे को गोली लगी। खून गिरा, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा गिरा था। 4–5 जगह खून गिरा था। लगभग एक बीता से उपर में खून गिरा था। शंभू, उदेश और रामसखी देवी तीनों एक दूसरे से एक–एक लग्गी की दूरी पर थे। मुदालह लोग पूरब से पश्चिम मुंह थे। लगभग दो–तीन लग्गी पर गोली चलने के समय। जख्मियों के कपड़ों में भी छेद, बांह में गोली लगी। घटनास्थल पर दवा–वारन नहीं किया था, सब को लेकर थाना पर गये। सबको खुसरूपुर अस्पताल ले गये। कंडिका–22, 23, 24, 25 एवं 26 में कहा है कि भराव पर पैर का निशान हल्का–फुल्का हुआ था। मार लगने पर हल्ला–गुल्ला किया। हल्ला पर

Web copy not official

तेजू राय, मेवा राय, भोला राय इनलोगों से बात हुई। ये लोग घटना देखे थे, थाना पर ले जाने के विषय में बात हुई। दरोगाजी के यहां उसी दिन थाना पर इजहार हुआ था। अदालत राय, शंभू राय, उदेश राय, रामसखी देवी का बयान उस दिन हुआ था, दरोगाजी लिखे थे। ऐसा बयान दिया था कि दिनांक–10.12.1992 को सबेरे 7:00 बजे मैं मिड्ल स्कूल से आकर दरवाजा पर बैठा था कि वहां पर सबल राय, ईश्वर राय, भगलू राय, जुंगी राय, जिशा राय, नागदेव राय, नागेश्वर राय सब आदमी बंदूक, राईफल, पिस्तौल लिये हुए था तथा ये लोग रास्ते पर शीशा फेंका तो उनलोगों से पूछा कि क्यों शीशा फेंका तो बाता–बाती होने लगी और सबल राय ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, जान से मार दो। सबल राय, राईफल से गोली मारा जो शंभू राय के बांये कान पर लगा। उदेश राय बचाने गया तो भगलू राय ने उसे पैर से मारा तथा जिशा राय उदेश राय को दाहिना पैर में गोली मारा तथा अदालत राय, मेरी मां रामसखी बथान गयी थी तो अदालत को नागदेव राय ने पिस्तौल से मारा। अदालत राय के पैर तथा चेहरा पर लगा था। दीपा राय के कहने पर मेरी मां को नरेश राय ने पिस्तौल से मारा। रास्ता का झगड़ा मुदालहों से ही उसी दिन झगड़ा हुआ था। थाना वहां से एक किलोमीटर पर ही है, थाना पर झगड़ा की खबर नहीं दिये थे, मौका नहीं था।

Web copy not official

13. **अभियोजन साक्षी सं0–03 अदालत राय (04.08.2001),** है, अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस केस का वादी हूं। लगभग साढ़े आठ वर्ष पूर्व सात–साढ़े सात बजे सुबह की बात है। मैं उस समय अपने दरवाजे पर था। वहां पर सबल राय, जुंगी राय, भगलू राय, इसर राय, जीसा राय, नागदेव राय, नागेश्वर राय, दीपा राय, नरेश राय सब नौ आदमी आये। ये लोग रिवाल्वर, बंदूक, पिस्तौल लिये थे। आकर रास्ते पर शीशा बिछाने लगे, उदेश राय ने मना किया। वे लोग गाली–गलौज देने लगे। शंभू राय के बांये बांह में सबल राय गोली राईफल से मार दिया। शंभू राय को पिस्तौल से जुंगी राय गोली मारा, जो उसके सीने में लगी। भगलू राय ने उदेश राय को बांये पैर में गोली मारा तथा जीसा राय ने पिस्तौल से उसके दाहिने पैर में गोली मारा। नागदेव राय ने हमको बांये हाथ में गोली मारा तथा नागेश्वर राय ने दाहिने हाथ तथा चेहरे पर हमको गोली मारा। दीपा राय के ललकारने पर नरेश राय ने रामसखी देवी को गाली मारी जो बांये तरफ उसकी कलाई में लगी। रामसखी देवी मेरी चाची है। दरोगाजी ने मेरा बयान दर्ज किया। बयान पढ़कर हमें सुना दिया था। तब हमने अपना निशान दिया था। मेरा इलाज अस्पताल में हुआ था और जख्मियों का इलाज अस्पताल में हुआ था। अभियुक्तों को पहचानता हूं। आज सबल राय उपस्थित है, जो नहीं आये हैं उनको भी पहचानता हूं।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–12, 13, 14, 15 एवं 16 में इस साक्षी ने बताया है कि घटना के गवाह घोलट राय, तेजू राय, रामकिशुन राय, नेवज राय हैं। ये लोग मेरे

परिवार के नहीं है। तूफानी राय मेरे परिवार के है। चचेरे भाई है। ये लोग पहले से मेरे दरवाजे पर बैठे हुए थे। ये लोग हमारे नजदीकी हैं, इसलिए सवेरे वहां बैठे हुए थे। ये लोग दस मिनट बैठे होंगे। मेरा घर पूरब तरफ का है। मेरा खेत परती था। मेरा खेत उत्तर मेरे घर से है। मेरे खेत से मुदालह का खेत दखिन है। मुदालह चंद्रदीप राय से जमीन ली थी। चंद्रदीप राय से रास्ता का कोई झगड़ा हमको नहीं था। घटना के दिन के पहले मुदालहों से रास्ता का कोई झगड़ा नहीं था। घटना के क्रम में उक्त व्यक्ति लोग हमारे दरवाजे पर ही बैठे थे। वे लोग अपने–अपने घर चले गये। मुदालह की जमीन जोत–आवाद करते समय झगड़ा नहीं हुआ था। गांव में सर्वे हुआ था कि नहीं, मालूम नहीं है। सर्वे में रास्ता दर्ज नहीं हुआ है। मुदालह लोग हमारे घर पर आये। भराई के नीचे पूरब आये, भराई से एक लग्गी पूरब आये। मुदालह के जमीन से भी कोई सरोकार नहीं है। मेरे घर के उत्तर में हीरा राय, मेरे पट्टीदार का घर है। दक्षिण में सबल राय, पूरब में मेरा ही, पश्चिम में मेरा ही है। घटना के दिन कोई फसल नहीं लगी थी। घर के पूरब भी कोई फसल नहीं था। मेरे घर के पश्चिम तथा दखिन में भी परती था। कंडिका–17, 18, 19, 20 एवं 21 में कहा है कि मारपीट डेढ़ लग्गी के अंदर में हुई। मारपीट के समय हम भराव पर थे। गोली एक लग्गी–डेढ़ लग्गी हटकर मारा गया। सभी को गोली फेरा–फेरी लगी। 2–4 मिनट के बाद चार आदमी को मार लगी। 10 मिनट हम मारपीट किये। भराव के नीचे खून गिरा। उपर नहीं देखा। भराव के नीचे खेत है, उसी में खून थोड़ा–थोड़ा दूर में खून था, एक ही जगह खून था। दरोगाजी जब गये तो उस समय मैं था। दरोगाजी को खून वाला खेत बतला दिया था, हम नहीं कह सकते कि खून उन्होंने उठाया या नहीं। पिस्तौल पहले नहीं देखा था। बंदूक तथा राईफल में क्या फर्क होता है, हम नहीं जानते। घटना के बाद राईफल, बंदूक के बारे में किसी से बात नहीं हुई। बंदूक से छर्रा निकल रहा था तथा राईफल से .315 की गोली निकल रही थी। गोली हमको उदेश राय, वालू राय, रामसखी देवी को लगी। अदालत राय को छर्रा लगा है। उदेश राय, रामसखी देवी को छर्रा लगा। कपड़ा में थोड़ा बहुत सबको छेद हुआ था। जहां–जहां गोली लगी थी, वहां–वहां काला हो गया था। उदेश राय को ठेहुना के नीचे पूरा काला हो गया था। हमको आंख तथा हाथ काला हो गया था। रामसखी देवी को एक तरफ काला हो गया था। शंभू राय को काला नहीं हुआ था। एक जगह छेदा था। सबके कपड़ा में भी खून लगा था। कंडिका–22, 23, 24, 25 एवं 26 में कहा है कि हमको एक्स–रे नहीं हुआ था। हम नहीं कह सकते है उदेश राय तथा शंभू राय का एक्स–रे 10–11 बजे हुआ। जुड़ावनपुर में हुआ था। डॉक्टर साह ने एक्स–रे देखा था। प्रमाण–पत्र तैयार किया गया था या नहीं, हम नहीं देखे। ऐसा बयान नहीं दिया था कि घटना से पहले सकल राय से बाता–बाती हुई थी। ऐसा बयान नहीं दिया था कि घटना के दिन मुदालह लोग किधर रहे थे। गाली–गलौज की बात बोले थे। दरोगाजी को बताया था कि राजू राय ने राईफल से गोली मारे, जो बांये पैर में लगी।

Web copy not official

बंदूक से गोली मारने की बात नहीं कहे थे। कंडिका–27, 28, 29, 30 एवं 31 में कहा है कि ऐसा कहा था कि जुंगी राय ने सीने में पिस्तौल से गोली मारा। ऐसा बयान दिया था कि भगलू राय तथा जीसा राय ने उदेश राय को बांये पैर में पिस्तौल से मारा। ऐसा कहा था कि नरेश राय ने रामसखी की हाथ की कलाई पर गोली मारा। हमारे घर के उत्तर चौहद्दी में जो जमीन है, उससे हमें सरोकार है या नहीं, हमें नहीं मालूम।

14. **अभियोजन साक्षी सं0–04 शंभु राय (22.08.2001)** है, अपने साक्ष्य में कहा है कि 09 वर्ष पूर्व समय साढ़े सात बजे सुबह की घटना है। सबल राय, जुंगी राय, जीसा राय रास्ता पर शीशा गाड़ रहे थे। उदेश राय ने मना किया कि मत गाड़िये। सबल राय, जुंगी राय, नागदेव राय, नरेश, जीसा राय, नकेसर राय, भगलू राय सात आदमी आये। ये लोग बंदूक लेकर आये। सबल राय बोले कि मारो साले को। तब सबल राय ने शंभू राय (हमें) को बांये हाथ में गोली मार दिया। जुंगी राय ने हमें कलेजा में गोली मारा। उदेश राय को नागदेव राय तथा नकेसर राय ने पैर में गोली मारा। अदालत राय को भगलू राय तथा जीसा राय ने गोली मारा। सखी देवी को नरेश राय ने दीपा राय के कहने पर गोली मारा। सखी देवी को रामसखी देवी भी कहते हैं। हमलोगों का इलाज हुआ। दरोगाजी ने बयान लिया था। अभियुक्तों को पहचानता हूं। आज सबल राय उपस्थित है, जो नहीं आये हैं उनको भी पहचानता हूं।

Web copy not official

प्रति–परीक्षण की कंडिका–12, 13, 14, 15 एवं 16 में इस साक्षी ने बताया है कि मैं घटनास्थल पर बंदूक की आवाज पर नहीं गया। पहले मैं शीशा गाड़ने के समय था। शीशा गाड़ने की जगह पर ही गोली चली। शीशा गाड़ने के समय मैं, उदेश राय, अदालत राय, सखी देवी थी और गांव के लोग अगल–बगल में थे। पहले गोली हमको लगी तथा वहीं गिर गया। अंत में गोली सखी देवी को लगी। वह भी वहीं गिर गयी। अदालत, उदेश भी गोली लगने से वहीं गिर गया। गोली चलाने वाला शीशा गाड़ने की जगह से एक रस्सी पूरब था। कंडिका–17, 18, 19, 20 एवं 21 में कहा है कि एक घंटा लगातार गोली चली। जहां मुदालह थे। वहीं से गोली चलाया था। हम सब आदमी बेहोश हो गये थे, सभी को तीन रोज के बाद होश आया। जहां गिरे वहां खून गिरा था। हमको बांया बांह तथा बांया कलेजा से खून निकला। कपड़ा में छेद हो गया। उदेश राय के बदन से खून गिरा। बांया पैर, कलेजा, पीठ से खून गिरा। अदालत राय को दो जगह दाहिना धर बांया पैर से खून निकला। रामसखी देवी को दाहिने हाथ में दो जगह खून निकला। कंडिका–23, 24, 25, 27, 28 एवं 29 में कहा है कि मेरा बयान पुलिस में 10 रोज बाद मेरे दरवाजे पर हुआ था। मेरे सामने और किसी का इजहार नहीं हुआ। ऐसा बयान दिया था कि सबल राय ने मारने का आदेश दिया। सबल तथा जुंगी ने मुझे कलेजा में गोली से मारा। गोली लगने से हम बेहोश हो गये थे। हमने स्वयं देखा था कि गोली औरों को

लगी, हमको पहले गोली लगी। तब सबको गोली लगने से आधा घंटा बाद हम बेहोश हो गये। पुलिस के सामने दीपा राय का नाम लिया था, जीसा राय का नाम भी लिया था। नागदेव, नरेश का नाम भी लिया था। अदालत राय हमारे चचेरा भाई है, उस समय एक ही घर में रहता था।

15. **अभियोजन साक्षी सं0–05 जुलुम राय (11.07.2005),** है, अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक–10.12.1992 को जुड़ावनपुर थाना के थाना प्रभारी द्वारा अदालत राय के खेत से दो .315 का खोखा तथा हाकल राय के खेत से दो .315 का खोखा बरामद किये थे। जप्ती सूची बनाये थे। इस पर मेरे बांये अंगूठे का निशान गवाह के रूप में है, जिसे मैं पहचानता हूं।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–02 में इस साक्षी ने बताया है कि मेरे सामने कोई सामान जप्त नहीं किया गया था। मेरे सामने कोई जप्ती सूची दाखिल नहीं की गयी थी। मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। दरोगाजी के कहने पर मैं सादे कागज पर अपने अंगूठे का निशान दिया था। घटना के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्त को ग्रामीण होने के नाते मैं पहचानता हूं।

Web copy not official

16. **अभियोजन साक्षी सं0–07 नेवज राय (19.11.2005),** है, अपने साक्ष्य में कहा है कि आज से 13 वर्ष पहले की यह बात है। 7:00 बजे सुबह की बात है। मैं उस समय अपने घर पर था। मेरे तथा अदालत राय के घर के बीच में 10 लग्गी की दूरी है। मैं देखा कि अदालत राय के द्वार के पास भराई पर झगड़ा हो रहा था। सबल राय, योगी राय, ईश्वर राय, भगलू राय, जाझा राय, नरेश राय, दीपा राय, नागो राय, नागेश्वर राय कुल 09 आदमी थे। ये लोग राईफल, पिस्तौल लिये थे। सबल राय कहे कि शंभू राय तथा अदालत राय सालों को मारो। सबल राय, शंभू राय को गोली से मारा। उसको गोली लगी। शंभू राय के दाहिने बांह में गोली की मार लगी थी। योगी राय गोली मारे जो शंभू राय के सीने में लगा। भगलू राय, उदेश राय को गोली से मारे जो उसके पैर में लगी। जीसा राय, उदेश राय को गोली से मारा, जो हमारे पैर में लगा। रामसखी देवी को नागू राय, नगेसर राय गोली से मारे। अदालत राय को भी गोली से मार लगी थी। भराव वाले रास्ते में शीशा सबल राय वगैरह गाड़ रहे थे। उसी को लेकर यह घटना घटी थी। आज न्यायालय डॉक में सबल राय उपस्थित है। बाकी अभियुक्तों को पहचानता हूं।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–02, 03 एवं 04 में इस साक्षी ने बताया है कि शीशा गाड़ने वाला रास्ता एक लग्गी चौड़ा है, जो उत्तर–दक्षिण गांव में गया है। उस समय उस रास्ते के आसपास 09 घर थे। उसी रास्ते के बगल में मेरा, अदालत राय, अन्य गवाहों का घर है। शीशा गाड़ने का तारीख, महीना तथा साल नहीं बता सकता हूं। शीशा

गाड़ते हुए अभियुक्तगण को मैं नहीं देखा था। शीशा गाड़ने के बावत मेरे सामने कोई घ टना नहीं घटी थी। अदालत राय के बगल में जो अभियुक्तगण की जमीन है उसे मैं देखा हूं। वह जमीन अदालत राय के घर से सटे है। वह भराव उत्तर–दक्षिण 07 लग्गी तथा पूरब–पश्चिम 15 लग्गी है। अदालत राय के घर का रूख पूरब तरफ है। उस भराव से सटे मुदई–मुदालह की जमीन है। अदालत राय की जमीन पूरब है तथाकथित रास्ता मुदई तथा अभियुक्त के जमीन से उत्तर से दक्षिण के तरफ हैं। इस घटना के पहले उक्त रास्ते को लेकर गांव में कभी कोई झंझट नहीं हुआ था। घटनास्थल के उत्तर शंभू राय का जमीन, दक्षिण अभियुक्त की जमीन, पूरब मुदई–मुदालह का जमीन तथा पश्चिम मुदई–मुदालह का जमीन हैं। कंडिका–05, 06 एवं 07 में कहा है कि घटना के दिन ही उभय पक्षों के बीच रास्ते–डरेर को लेकर झगड़ा हुआ था। किसी भी जमीन में उस समय फसल नहीं थी। अदालत राय के घर के पूरब अदालत राय के ही जमीन में आलू की फसल थी। मैं हल्ला पर घटनास्थल पर आया था। मेरी नजर जब शंभू राय, अदालत राय, उदेश राय तथा रामसखी पर पड़ी थी। उस समय वे बेहोश थे तथा गिरे पड़े थे। मेरे वहां पहुंचने पर वहां बैजनाथ राय, बुलेट राय, हीरा राय, भुलुक राय आये थे। इसके अलावे वहां पर और कोई नहीं आया था। अदालत राय मेरा चचेरा भाई है।

Web copy not official

17. **अभियोजन साक्षी सं0–08 घोलट राय (24.11.2005)** है, अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस घटना के विषय में जानता हूं। करीब लगभग 13 वर्ष पहले की यह घटना है। 7:00 बजे सुबह की बात है। मैं उस समय अपने दरवाजे पर था। मेरा घर अदालत राय के घर से सटे उत्तर तरफ है। मैं उस समय अपने घर के दरवाजे पर था। मैं तुफानी राय तथा शंभू राय के दरवाजे पर झगड़ा होता देखा था। ये लोग अदालत राय के चचेरे भाई हैं। रास्ते को लेकर बाता–बाती हो रहा था। अदालत राय, शंभू राय, सबल राय, इसर राय, मगरू राय, जुंगी राय, ओसा राय, नागदेवता, नगेसर राय, दीपा राय, नरेश राय के बीच में बाता–बाती हो रही थी। सबल राय, जुंगी राय पिस्तौल, मोलू राय बंदूक, जीसा राय राईफल, नगेसर राय दो नाली बंदूक लिये थे। रास्ते पर शीशा गाड़ने को लेकर झंझट हो रहा था। उदेश राय, अदालत राय, शंभू राय उनको मना करने गये थे, परन्तु अभियुक्तगण नहीं माने। सबल राय गोली मारने का आदेश दिया। सबल राय, शंभू राय को गोली से मारे तो उनके बांये बांह पर लगी। जुंगी राय, शंभू राय को पिस्तौल से मारा। वह गोली शंभू राय के सीने पर लगी। भगलू राय, उदेश राय के बांये पैर में गोली मारा। उदेश राय के दाहिने पैर में गोली जिसा राय ने मारा। अदालत राय को नागदेव राय गोली मारे जो उनके हाथ से लेकर मुंह पर लगी। नागेसर राय गोली से शंभू राय के पैर में मारा। नरेश राय हल्ला पर घर से आया, जो दीप राय के ललकार पर रामसखी देवी

को गोली से मारा, जो उसके हाथ में लगा। यह गोली दरवाजे पर थी। आज न्यायालय डॉक में भगलू राय उपस्थित है। बाकी अभियुक्तों को भी पहचानता हूं।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–02, 03, 04 एवं 05 में इस साक्षी ने बताया है कि घटना के पहले मुदई तथा अभियुक्त के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। अदालत राय मेरे फरीक हैं। मैं उनका मकान देखा हूं। उसका रूख पूरब था। वह मकान गिर गयी है तथा नदी के पेट में चली गयी है। जो भी घटना घटी वह अदालत राय के घर से मिट्टी के भराव तक हुई थी। अदालत राय का घर ईंटा का था तथा भराव मिट्टी का था। मैं घ ार तथा भराव में फर्क समझता हूं। अदालत राय के घर पर कोई खून नहीं देखा था। भराव पर भी कोई खून नहीं देखा था। जहां घटना घटी थी उस स्थान पर आलू की फसल लगी थी। आलू के खेत में किसी को गोली नहीं लगी थी। घर के बगल में गोली लगी थी। फिर कहा कि आलू के खेत में गोली लगी थी। उस आलू के खेत के बगल की जमीन अभियुक्त का खेत है। उसमें गेहूं लगा था। अदालत राय के आलू का खेत तथा अभियुक्त के गेहूं के खेत के बीच में आर लगी थी। उसे मैं अपने होश से देख रहा था। आर (डरेर) एक हाथ चौड़ा था। आर के उत्तर तरफ आलू तथा दक्षिण तरफ गेहूं था। उस आर के उत्तर गोली लगी थी। आलू की फसल अभी जन्म रही थी। आलू तथा गेहूं के खेत में पैर का निशान हुआ था। घटना के दिन गेहूं का पौधा एक–एक बीता का हो गया था। गेहूं के खेत में खून का निशान था। पुलिस जब गयी थी तो मैं वहां था। पुलिस खेत में खून का धब्बा तथा पैर का निशान देखा था। जिन लोगों को मार लगी थी वे कपड़ा पहने थे। उनके कपड़े में गोली का छेद हुआ था। गोली लगने वालों के कपड़ा में भी खून लगा था। अभियुक्त ताड़ी–शराब पीते हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। घटना के दिन के पहले से मुदई तथा अभियुक्त से मेरी मुलाकात होती थी। जिस समय शंभू राय को गोली लगी वह सबल राय से 15–16 लग्गी की दूरी पर था। जिस समय अदालत राय को गोली लगी उनको गोली मारने वाला उनसे 5–10 लग्गी की दूरी पर था। जुंगी राय, शंभू राय को 2–4 लग्गी की दूरी से मारा था। उदेश राय को भगलू राय 15–16 लग्गी की दूरी से गोली मारा था। ईसर राय भी उसी स्थान से गोली चलाया था। रामसखी को जब गोली लगी तो उसको गोली मारने वाला उससे 10 लग्गी की दूरी पर था। घटनास्थल पर मैं गोली की आवाज पर आया था। रास्ता में मैं अभियुक्तगण को भागते देखा था। मैं राईफल, बंदूक तथा पिस्तौल देखा हूं। राईफल तथा बंदूक में क्या अन्तर होता है, मैं नहीं बता सकता हूं। रिवाल्वर तथा पिस्तौल में अंतर मैं नहीं जानता।

18. **अभियोजन साक्षी सं0–09 हीरा राय (16.12.2005),** है, अपने साक्ष्य में कहा है कि जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–61 / 92 को यह जप्ती सूची है, जो दिनांक–10.12.1992 को थाना प्रभारी जुड़ावनपुर कैम्प राघवपुर के द्वारा वादी अदालत राय एवं सबल राय के

Web copy not official

क्रमशः आलू एवं गेहूं के खेत से बरामद किये गये दो–दो खाली खोखा बरामद किये थे तब इसे तैयार किये थे। जिस पर गवाह के रूप में मैं यह अपना निशान बनाया था, जिसे मैं पहचानता हूं। यही वह जप्ती सूची है। दरोगाजी मेरा बयान लिये थे, जिसमें मैं यह कहा था कि घटनास्थल पर मैं गोली की आवाज सुनकर गया था। मैं दरोगाजी के सामने अपना सही बयान दिया था।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–03 में इस साक्षी ने बताया है कि जो जप्ती सूची दरोगाजी बनाये थे उसका मजबून वे मुझे पढ़कर नहीं सुनाये थे। वे कागज पर निशान बनाने के लिए कहें। मैं उस पर अपना निशान बना दिया था। साक्षी जागा मेरा चचेरा भाई है। दरोगाजी मुझे कोई सामान नहीं दिखाये थे।

Web copy not official

19. अभियोजन साक्षी सं0–10 डॉ0 कमल कुमार सिंह (30.01.2006), ने अपने साक्ष्य में बताया है कि :

1- On 10.12.1992 I was posted as Medical Officer at Additional P.H.C. Jurawanpur, P.S.-Jurawanpur, Distt.-Vaishali and the written submission of then OC Jurawanpur P.S.- Jurawanpur examined the injured Adalat Rai S/o-Shivaji Rai at village Raghopur at about 10:30 AM and found the following injuries on his hergon :-

(1) Lacerated circular wound 1/6”x1/6”x1/6” inverted edge with bruine and echymosis round the wound on the lateral part of nose, left side below left lower eye lid cause by fire arm pellet injury.

Simple in nature.

(2) Lacerated circular wound 1/6”x1/6”x1/6” on the middle side of right thingh above the knee joint with inverted edge, with bruine and echymosis round the wound a pellet recovered from the above wound during examination cause by fire arm pellet injury.

Simple in nature.

(3) Lacerated circular wound two in number 1 1/2” away each after on the left upper part of arm. On the lateral aspeet 1/6”x1/6”x1/6” inverted edge with bruine and echymosis round the wound cause by fire arm pellet injury.

Simple in nature.

(4) Lacerated circular wounds left wrist 1/6”x1/6”x1/6” inverted edge with bruine and echymosis round the wound cause by fire arm pellet injury and simple in nature. All the above four injuries may be caused by early made frital orgun age of injury with in 12 hours. This injury report in my pen and having my signature marked Ext.-1

2- On the same day and same place, gave written information regarding the selling and sending the recovered bullet to the officer incharge of police station concerned which is in my pen and having my signature which is marked Ext.-1/1.

3- On the same day and same place at around 5.15 AM examined injured Shambhu Rai S/o- Jaga Rai of village Raghopur PS-Jurawanpur and found the follwing injuries on the person :

(1) Lacerated oval wounds on the antrolateral aspect and upper part of left arm 1 1/2”x1”x muscle deep having inverted edge with bruise and echymosis round the wound.

The wound is communicating to the other wound medcially and above (1 1/2”) to the former wound with 2” long track.

Blood clots were seen round the wound and it was oozing.

(2) Communicating to the above there is lacerated wound on the medical aspect and 1 1/2” above the wound no. 1, 1 1/2”x1/2 muscle deep, with everted edge. Fatty tissue protruding through the wound. The were clots round the wound and it was oozing.

(3) Lacerated wounds 1”x1/2”x muscle deep with inverted edge on the lateral part, left side of chest just below the axillary fold. The wound made a five inch long blind trach up to upper anterior part of left side chest.

(4) Swelling on the anterior and upper part of left side chest 1 1/2”x1/2” where the blind trach of wound no. 3 is ending. A hard elongated foreigon body felt by the examining hand.

Opinon regarding the nature of weapon will he given after extraction of foreign body from wound no. 4 and nature of injury will be given after radiological examination.

Age of injury with 12 hours.

X-ray examination of the affected parts suggested at 11:30 AM on the same day i.e 10-12-1992 of extracted the foreign body from wound no. 4 of Sambhu Rai and found to the a bullet. The bullet send to the o.c. Jurawanpur for needful.

And by examining the above wounds (1 to 4) I reached to the opinion that wound no. 1 is the wound of entrance and wound no. 2 is the existing of bullet. Again

Web Copy not Official

wound no. 3 is the wound of entrance of the same bullet which lodged on the left side. Chest wall, on the upper and interior part which loosed like a swelling (wound no. 4) Therefore all the above injuries have been caused by the fire arm by a single bullet. Fire arm of country made pistol.

This injury report in my pen and signature made Ext. 2

(4) On 15-12-1992 of same day the bullet send to the I.O Jurawanpur P.S for regarding injuries of injured Sambhu Rai.

X- ray report of the above person which was done at X-ray research hospital road, Rajendra Nagar Patna having no P.S suggests the following :

1. No honey abnormality or any honey injury shown.

Therefore wound are simple in nature. The report in my pen and signature which is made Ext.- 2/1.

5. On 10-12-1992 at about 9:25 A.M I examined the injured Udesh Rai S/o Ghalat Rai of village Raghopur and found the following injuries on his person :-

(1) Multiple lacerated circular wounds 1/6”x1/6” x skin to muscle deep with inverted edge with bruine and echymosis round the wound. On the right lower limb below thigh, caused by fire arm, multiple bullet injuries.

Simple in nature.

(2) Multiple lacerated circular wounds 1/6”x1/6” x skin to muscle deep with inverted edge with bruise and echymosis round the wound on the left lower limb.

Caused by fire arm (multiple pellet injury)

Simple in nature.

Sues of eventry made gives-

In this report of stitched in the right and left in which the bullet were found by me. Age of injury within 12 hours.

X-ray examination of the affected parts of the body suggested. This injury report in my pen and having my signature which is made Ext.-3.

Web Copy not Official

6- On the same day and same place at about 10:45 AM I examined Ram Sakhi Devi W/o Late Sonari Rai of village- Raghopur and found this following injuries on the person :-

(1) Lacerated circular wounds 1/6”x1/6”x muscles deep having inverted edge with bruine and echymosis round the wound. On the dorsum of right hand, caused by fire arm, bullet injury.

(2) Lacerated circular wounds it 1/6”x1/6”x1/6” with inverted edge with bruise and echymosis round the wound below the injury no.-1

caused by fire arm bullet injury simple in nature.

(3) Swelling left wrist 1” x 1”, caused by hard and blunt substance.

Simple in nature.

Age of injury within 12 hours

X-ray examination of the affected part of body suggested injury no.- 1 & 2 may be caused by country made gun or pistol.

This injury report in my pen and having my signature which is made Ext-4.

प्रति–परिक्षण की कंडिका–07, 08, 09 एवं 10 में इस साक्षी ने बताया है कि Today no injured is before me. I can’t identify the shape of injury caused by pistol, gun or rifle are not the same. Inverted edge injury तभी होगी जबकि राईफल, पिस्टल या बंदूक से 10–20 फीट की दूरी से गोली चलायी जायेगी। Inverted edge injury जली हुई होगी उसमें कालापन होगा। My opinion is based on medical jurisprudence. Modi book is authority on this point. 12 hours means within 12 hours it may be Zero hours also. Within 5 hours may be seperated from within 12 hours.

20. **अभियोजन साक्षी सं0–06 राम किशुन राय (22.09.2005)** (पक्षद्रोही) साक्षी अपने साक्ष्य में कहा हैं कि, घटना की जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तत्पश्चात् इनके पूर्व के बयान अंतर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तरफ इनका ध्यान आकृष्ट कराते हुये इनका खण्डन किया गया है।

Web Copy not Official

21. उभय पक्ष का बहस सुना। विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी और जख्मी साक्षी ने भी सभी अभियुक्तगणों की न केवल घटनास्थल पर उपस्थिति को प्रमाणित किया है, बल्कि उनके द्वारा लिये गये हथियार एवं कारित किये गये जख्म को भी स्पष्ट किया है। चिकित्सक साक्षी ने भी जख्मियों के इलाज करने की बात अपने साक्ष्य के दौरान कही है तथा यह भी कहा है कि जख्मियों को फायर आर्म इंजरी कारित की गयी थी। बचाव पक्ष अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी को अविश्वसनीय साबित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्तगण दोष–सिद्ध के अधिकारी हैं।

दूसरी तरफ बचाव पक्ष का कथन है कि सभी साक्षियों के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है तथा वे घटनास्थल को भी साबित करने में असफल रहे हैं। चिकित्सक साक्षी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने कथित जख्मियों की पहचान कैसे की है। अनुसंधानकर्ता साक्ष्य के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए, अतः बचाव अनुसंधानकर्ता के प्रति–परीक्षण के माध्यम से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के अवसर से वंचित रहा है। यह अभियोजन का कर्तव्य था कि वह मामले को संदेह से परे साबित करें, जिसमें कि वह पूरी तरह असफल रहा है।

Web copy not official

निष्कर्ष

22. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में आरोप का निर्माण सर्वप्रथम दिनांक–17.06.1999 को किया गया था और इसके पश्चात् सभी साक्षियों का साक्ष्य कराया गया, परन्तु पुनः दिनांक–09.12.2011 को आरोप में परिवर्तन इस निष्कर्ष के साथ किया गया कि बचाव पक्ष को पुनः परीक्षण का अधिकार होगा। दोनों आरोप का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि दोनों आरोपों में न तो धारा के संबंध में कोई परिवर्तन किया गया है और ना ही उनके द्वारा किये गये अपराध के संबंध में कोई परिवर्तन किया गया है, फिर भी यदि न्यायालय द्वारा साक्षियों के प्रति–परीक्षण का अवसर दिया गया था तो बचाव पक्ष का यह अधिकार था कि वह साक्षियों का प्रति–परीक्षण कर सकें, परन्तु न्यायालय ने आरोप परिवर्तन के पश्चात् प्रति–परीक्षण का अधिकार प्रदान किये जाते समय बचाव पक्ष को भी यह निर्देश दिया था कि वह उन साक्षियों की लिखित रूप में सूची प्रस्तुत करें, जिनका कि वह पुनः प्रति–परीक्षण करना चाहता है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि बचाव पक्ष उन साक्षियों की लिखित रूप में सूची कभी भी प्रस्तुत नहीं किया और अंत में न्यायालय को साक्ष्य बंद करके अभिलेख को बयान के लिए निर्धारित करना पड़ा। बचाव पक्ष के इस कृत्य से स्पष्ट है कि वह अपने प्रति–परीक्षण के

अधिकार का उपयोग करने का इच्छुक नहीं था। अतः पूर्व में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर जिसमें कि बचाव पक्ष ने विस्तृत रूप से प्रति–परीक्षण किया है, पर निर्णय आधारित किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत् है।

अभियोजन ने अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 10 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि **अभियोजन साक्षी सं0–01 उदेश राय हैं,** जो कि जख्मी साक्षी भी है, इन्होंने अपने मुख्य–परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि 08 वर्ष 04 माह पूर्व की बात है। बृहस्पतिवार दिन समय–7:00 बजे सुबह में मैं उस समय अदालत राय के घर के निकट था। सकल राय, जुंगी राय, नकेसर राय, रास्ता पर शीशा फोड़ने लगे इस पर अदालत राय और हमने कहा कि रास्ते पर शीशा मत फोड़िये। इस पर सबल राय घर पर चले गये। सबल राय, जुंगी राय, नकेसर राय, नागदेव राय, भगलू राय, दीप राय, नरेश राय ये सभी लोग हथियार सकल राय के हाथ में राईफल, जुंगी राय के हाथ में पिस्तौल, भगलू राय के हाथ में बंदूक जीशा राय के हाथ में बंदूक, नागदेव राय के हाथ में बंदूक, नकेसर राय के हाथ में पिस्तौल, नरेश राय के हाथ में बंदूक था। शंभू राय के हाथ में गोली मारकर सबल राय बोले कि साले को गोली मार दो। इस पर शंभू राय को जुंगी राय ने सीना में पिस्तौल से मारा। भगलू राय हमें बांये पैर में गोली मारा। जीशा राय हमें बंदूक दाहिने पैर में मारा। रामसखी देवी ने कहना चाहा तो नागदेव ने बंदूक से गोली मारा। रामसखी को नकेसर ने गोली दाहिना हाथ में मारा। दीपा राय के ललकारने पर नरेश राय ने रामसखी के बांये हाथ की कलाई में गोली मारी, उसे मुंह में लगा। गांव के लोग रामकिशुन राय, घोलट राय, नेवज राय, तुफानी राय वहां आये। हमलोगों को थाना पर उठाकर ले गया। थाना के बाद डॉक्टर के यहां गये। वहां सभी जख्मियों का इलाज हुआ।

इस प्रकार इस साक्षी ने न केवल यह स्पष्ट किया है कि सभी अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित थे, बल्कि गोली मारने में और मारपीट करने में सक्रिय रूप से भागीदार भी थे। इस साक्षी के साक्ष्य को चिकित्सक साक्षी डॉक्टर कमल कुमार सिंह ने भी संपुष्ट किया है और कहा है कि दिनांक–10.12.1992 को उसने उदेश राय के सिर में भी फायर आर्म इंजरी पाया था।

साक्षी के प्रति–परीक्षण में बचाव पक्ष ने प्रथमतः घटनास्थल को लेकर प्रश्न किया है, जिसे भी साक्षी ने स्पष्ट करते हुए घटनास्थल को संपुष्ट किया है। साक्षी ने अपने प्रति–परीक्षण में यह भी स्पष्ट किया है कि दरोगाजी ने भी खून देखा था और जख्मी लोगों के बदन पर जो गंजी–कुर्ता था उसमें भी खून लगा था तथा कपड़ों में गोली लगने की जगह पर गोल निशान हो गया था। प्रति–परीक्षण में किये गये अन्य प्रश्नों के द्वारा भी बचाव पक्ष साक्षी की विश्वसनीयता को प्रश्नगत करने में असफल रहा है।

Web copy not official

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **अभियोजन साक्षी सं0–02 तूफानी राय** हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक–10.12.1992 की बात है। समय–7:00 बजे सुबह का था। उस समय मैं मिड्ल स्कूल पर से आकर दरवाजा पर तुरंत बैठा था। वहां पर सबल राय, भगलू राय, जुंगी राय, जिशा राय, नागदेव राय, दीपा राय, नरेश राय, नकेसर राय कुल 09 आदमी ये लोग बंदूक, राईफल, पिस्तौल लिये हुए थे। ये लोग मेरे दरवाजे पर आये। ये लोग रास्ते पर शीशा फेंके तो राम उदेश ने पूछा कि क्यों शीशा फेंका तो इस पर बाताबाती करने लगे। सबल राय ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, जान से मारो। सबल राय गोली मारे तो शंभू राय को बांये बांह पर लगा। जुंगी राय पिस्तौल से मारे तो शंभू राय के सीने पर लगा। राम उदेश राय बचाना चाहा तो भगलू राय बंदूक से राम उदेश राय को बांये पैर में गोली मारा। जिशा राय, उदेश राय को दाहिना पैर में गोली मारा। अदालत राय तथा मेरी मां रामसखी देवी बचाने गयी तो अदालत राय को नागदेव राय बांये पैर में पिस्तौल से गोली मारे। नकेसर राय ने गोली मारी पिस्तौल से तो अदालत राय को पैर तथा चेहरा पर लगा। दीप राय के कहने पर मेरी मां को नरेश राय ने पिस्तौल से मारा।

Web copy not official

मुख्य परीक्षण से स्पष्ट है कि यह साक्षी भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसने घटना का संपूर्ण समर्थन किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा लिये गये हथियार व कारित किये गये जख्म को पूरी तरह स्पष्ट किया है। साक्षी ने प्रति–परीक्षण में भी स्पष्ट किया है कि घटना के समय परिवार के लोग घर पर थे और परिवार के लोगों का बयान लिया गया था, जो लोग थे वे लोग घटना देखे थे। साक्षी ने प्रति–परीक्षण में घटनास्थल को भी संपुष्ट किया है और घटना के कारण को भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभियुक्तगण रास्ते पर शीशा फेंके तो जब उनसे पूछा गया तो उनलोगों ने बाताबाती प्रारंभ कर दी और जिसके पश्चात् यह घटना कारित हुई। इस साक्षी के साक्ष्य को भी बचाव पक्ष प्रश्नगत नहीं कर सका है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **अभियोजन साक्षी सं0–03 अदालत राय** हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं इस केस का वादी हूं। लगभग साढ़े आठ वर्ष पूर्व सात–साढ़े सात बजे सुबह की बात है। मैं उस समय अपने दरवाजे पर था। वहां पर सबल राय, जुंगी राय, भगलू राय, इसर राय, जीसा राय, नागदेव राय, नागेश्वर राय, दीपा राय, नरेश राय सब नौ आदमी आये। ये लोग रिवाल्वर, बंदूक, पिस्तौल लिये थे। आकर रास्ते पर शीशा बिछाने लगे, उदेश राय ने मना किया। वे लोग गाली–गलौज देने लगे। शंभू राय के बांये बांह में सबल राय गोली राईफल से मार दिया। शंभू राय को पिस्तौल से जुंगी राय गोली मारा, जो उसके सीने में लगी। भगलू राय ने उदेश राय को बांये पैर में गोली मारा तथा जीसा राय ने पिस्तौल से उसके दाहिने पैर में गोली मारा। नागदेव राय

ने हमको बांये हाथ में गोली मारा तथा नागेश्वर राय ने दाहिने हाथ तथा चेहरे पर हमको गोली मारा। दीपा राय के ललकारने पर नरेश राय ने रामसखी देवी को गाली मारी जो बांये तरफ उसकी कलाई में लगी। रामसखी देवी मेरी चाची है। दरोगाजी ने मेरा बयान दर्ज किया। बयान पढ़कर हमें सुना दिया था। तब हमने अपना निशान दिया था। मेरा इलाज अस्पताल में हुआ था और जख्मियों का इलाज अस्पताल में हुआ था।

यह साक्षी न केवल केस का वादी सूचक है, बल्कि जख्मी साक्षी भी है। इस साक्षी को भी अभियुक्तगण द्वारा कई फायर आर्म इंजरी कारित की गयी थी, जिसकी संपुष्टि अभियोजन साक्षी सं0–10 डॉक्टर कमल कुमार सिंह ने अपने साक्ष्य के दौरान किया है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण का मुख्य उद्‌देश्य यही प्रतीत होता है कि वे अभियुक्तगण एवं सूचक पक्ष के मध्य जमीन विवाद या रास्ते का विवाद स्थापित कर सके, परन्तु साक्षी ने बचाव पक्ष के इस प्रश्न का कि दोनों पक्षों में जमीन का विवाद है, पूरी तरह से इंकार किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्तगण के जमीन से भी उसका कोई सरोकार नहीं है। साक्षी ने अन्य जख्मियों उदेश राय, रामसखी देवी को भी जख्म कारित होने की बात कहा है और यह भी कहा है कि सबके कपड़ा में खून लगा था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य पर कहीं से भी अविश्वास करने का कोई भी तथ्य बचाव पक्ष लाने में असफल रहा है।

Web copy not official

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **अभियोजन साक्षी सं0–04 शंभू राय** हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 09 वर्ष पूर्व समय साढ़े सात बजे सुबह की घटना है। सबल राय, जुंगी राय, जीसा राय रास्ता पर शीशा गाड़ रहे थे। उदेश राय ने मना किया कि मत गाड़िये। सबल राय, जुंगी राय, नागदेव राय, नरेश, जीसा राय, नकेसर राय, भगलू राय सात आदमी आये। ये लोग बंदूक लेकर आये। सबल राय बोले कि मारो साले को। तब सबल राय ने शंभू राय (हमें) को बांये हाथ में गोली मार दिया। जुंगी राय ने हमें कलेजा में गोली मारा। उदेश राय को नागदेव राय तथा नकेसर राय ने पैर में गोली मारा। अदालत राय को भगलू राय तथा जीसा राय ने गोली मारा। सखी देवी को नरेश राय ने दीपा राय के कहने पर गोली मारा। सखी देवी को रामसखी देवी भी कहते हैं। हमलोगों का इलाज हुआ।

यह साक्षी भी जख्मी साक्षी है, इसने अपने प्रति–परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि सबल राय ने हमें बांये हाथ में गोली मार दिया तथा जुंगी राय ने कलेजा में गोली मारा। साक्षी ने मुख्य–परीक्षण में यह भी स्पाष्ट कर दिया है कि अन्य जख्मियों को भी अभियुक्तगण के द्वारा जख्म कारित किया गया था। जख्मी साक्षी ने अपने प्रति–परीक्षण में भी स्पष्ट किया है कि वह उदेश राय, अदालत राय, सखी देवी और गांव के अगल–बगल के लोग भी थे तथा गोली सबसे पहले उसे लगी और सखी देवी को सबसे अंत में लगी। इस साक्षी के साक्ष्य को न केवल बचाव पक्ष प्रश्नगत करने में असफल रहा

है, बल्कि प्रति–परीक्षण के माध्यम से साक्षी से यह और भी स्पष्ट करवा दिया है कि उसने स्वयं देखा था कि गोली औरों को भी लगी थी।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **अभियोजन साक्षी सं0–05 जुलुम राय एवं अभियेाजन साक्षी सं0–09 हीरा राय** हैं, यद्यपि कि इन्होंने प्रति–परीक्षण में कहा है कि इन्होंने केवल सादे कागज पर अंगूठे का निशान दिया था और घटना के विषय में इन्हें कोई जानकारी नहीं है, परन्तु मुख्य–परीक्षण में स्पष्ट कर दिया है कि थाना प्रभारी जुड़ावनपुर कैंप राघोपुर के द्वारा वादी अदालत राय एवं सबल राय के क्रमशः आलू एवं गेहूं के खेत से दो–दो खाली खोखा बरामद किये थे और उसी समय जो जप्ती सूची बनी थी उस पर मेरा हस्ताक्षर है। अभियोजन साक्षी सं0–09 ने यह भी स्प्ष्ट कर दिया है कि वह घटनास्थल पर गोली की आवाज सुनकर गया था। इस प्रकार इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस दिन घटनास्थल पर गोली चली थी और घटनास्थल से खाली खोखा भी बरामद किया गया था।

Web copy not official

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **अभियोजन साक्षी सं0–07 नेवज राय हैं,** इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि आज से 13 वर्ष पहले की यह बात है। 7:00 बजे सुबह की बात है। मैं उस समय अपने घर पर था। मेरे तथा अदालत राय के घर के बीच में 10 लग्गी की दूरी है। मैं देखा कि अदालत राय के द्वार के पास भराई पर झगड़ा हो रहा था। सबल राय, योगी राय, ईश्वर राय, भगलू राय, जाझा राय, नरेश राय, दीपा राय, नागो राय, नागेश्वर राय कुल 09 आदमी थे। ये लोग राईफल, पिस्तौल लिये थे। सबल राय कहे कि शंभू राय तथा अदालत राय सालों को मारो। सबल राय, शंभू राय को गोली से मारा। उसको गोली लगी। शंभू राय के दाहिने बांह में गोली की मार लगी थी। योगी राय गोली मारे जो शंभू राय के सीने में लगा। भगलू राय, उदेश राय को गोली से मारे जो उसके पैर में लगी। जीसा राय, उदेश राय को गोली से मारा, जो हमारे पैर में लगा। रामसखी देवी को नागू राय, नगेसर राय गोली से मारे। अदालत राय को भी गोली से मार लगी थी। भराव वाले रास्ते में शीशा सबल राय वगैरह गाड़ रहे थे। उसी को लेकर यह घटना घटी थी।

इस प्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य–परीक्षण में घटना का समर्थन किया है, परन्तु प्रति–परीक्षण में स्वीकार किया है कि वह हल्ला पर घटनास्थल पर आया था, जब वह शंभू राय, अदालत राय, उदेश राय तथा रामसखी देवी को देखा तो वह लोग बेहोश थे तथा गिरे पड़े थे।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **अभियोजन साक्षी सं0–08 घोलट राय हैं,** इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं इस घटना के विषय में जानता हूं। करीब लगभग 13

वर्ष पहले की यह घटना है। 7:00 बजे सुबह की बात है। मैं उस समय अपने दरवाजे पर था। मेरा घर अदालत राय के घर से सटे उत्तर तरफ है। मैं उस समय अपने घर के दरवाजे पर था। मैं तुफानी राय तथा शंभू राय के दरवाजे पर झगड़ा होता देखा था। ये लोग अदालत राय के चचेरे भाई हैं। रास्ते को लेकर बाता–बाती हो रहा था। अदालत राय, शंभू राय, सबल राय, इसर राय, मगरू राय, जुंगी राय, ओसा राय, नागदेवता, नगेसर राय, दीपा राय, नरेश राय के बीच में बाता–बाती हो रही थी। सबल राय, जुंगी राय पिस्तौल, मोलू राय बंदूक, जीसा राय राईफल, नगेसर राय दो नाली बंदूक लिये थे। रास्ते पर शीशा गाड़ने को लेकर झंझट हो रहा था। उदेश राय, अदालत राय, शंभू राय उनको मना करने गये थे, परन्तु अभियुक्तगण नहीं माने। सबल राय गोली मारने का आदेश दिया। सबल राय, शंभू राय को गोली से मारे तो उनके बांये बांह पर लगी। जुंगी राय, शंभू राय को पिस्तौल से मारा। वह गोली शंभू राय के सीने पर लगी। भगलू राय, उदेश राय के बांये पैर में गोली मारा। उदेश राय के दाहिने पैर में गोली जिसा राय ने मारा। अदालत राय को नागदेव राय गोली मारे जो उनके हाथ से लेकर मुंह पर लगी। नागेसर राय गोली से शंभू राय के पैर में मारा। नरेश राय हल्ला पर घर से आया, जो दीप राय के ललकार पर रामसखी देवी को गोली से मारा, जो उसके हाथ में लगा।

इस प्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य–परीक्षण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि उसने पूरा घटनाक्रम अपने स्वयं के आंखों से देखा है। प्रति–परीक्षण में भी साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने अभियुक्तगणों को मारते हुए स्वयं देखा था तथा यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण जख्मियों को कितनी दूरी से गोली मारे थे, यह भी देखा है। यद्यपि कि साक्षी ने आगे के प्रति–परीक्षण में यह भी कहा है कि वह गोली के आवाज पर घटनास्थल पर आया था और रास्ता में अभियुक्तगण को भागते हुए देखा था। इस प्रकार यह साक्षी घटना को होते हुए स्वयं देखा था या नहीं, संदेह उत्पन्न होता है, परन्तु अन्य तथ्यों के संबंध में साक्षी ने स्पष्ट रूप से अपने मुख्य परीक्षण में कहे गये तथ्यों को संपुष्ट भी किया है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **अभियोजन साक्षी सं0–10 डॉक्टर कमल कुमार सिंह हैं,** इन्होंने अपने साक्ष्य के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक–10.12.1992 को दिन में लगभग 10:30 बजे जख्मियों अदालत राय, शंभू राय, उदेश राय एवं रामसखी देवी का चिकित्सा रिपोर्ट तैयार किया था। चिकित्सक साक्षी ने बहुत ही विस्तृत एवं स्पष्ट जख्म साक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत किया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि वह किन जख्मियों के किस जख्म को शरीर के अंदर गोली लगना पाया है तथा किस जख्म को गोली के शरीर से निकलने की जगह पाया है। चिकित्सक साक्षी ने चिकित्सा के दौरान शरीर में रह गये पिलेट (छर्रा) को भी बरामद करने की बात कही है तथा जख्मियों के जख्म को गंभीर भी

Web copy not official

पाया है। चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्ष्ट है कि उसने चिकित्सा के दौरान यह भी पाया था कि जख्म से खून भी बाहर निकल रहा था और इस आधार पर उसने जख्म को 12 घंटे के अंदर का जख्म होना पाया है। साक्षी ने प्रति–परीक्षण में भी यह स्पष्ट किया है कि Inverted edge injury तभी होगी जबकि राईफल, पिस्टल या बंदूक से 10–20 फीट की दूरी से गोली चलायी जायेगी। Inverted edge injury जली हुई होगी उसमें कालापन होगा। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी राय चिकित्सीय विधि शास्त्र पर आधारित है। साक्षी ने सभी जख्म country made gun or pistol द्वारा कारित होना बताया है।

जहां तक साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है, वहां पर अभियोजन साक्षी अदालत राय, शंभू राय, उदेश राय एवं रामसखी देवी स्वयं जख्मी साक्षी हैं, जिनका कि घटनास्थल पर उपस्थिति को प्रश्नगत किया जाना बचाव पक्ष द्वारा संभव नहीं हो सका है और इस संबंध में ***माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट आफ यू0पी0 बनाम नरेश (2011) 4 एस0सी0सी0 324 में*** स्पष्ट रूप से कहा है कि जख्मी साक्षियों के साक्ष्य को उचित महत्व एवं वजन दिया जाना चाहिए और उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति को प्रश्नगत किया जाना उचित नहीं है, इसी प्रकार ***जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2009) 9 एस0सी0सी0 719 तथा अब्दुल सैयद बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2010) 10 एस0सी0सी0 259 में*** स्पष्ट रूप से कहा है कि जख्मी साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए और उनके साक्ष्य को तब तक अविश्वसनीय नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उनके साक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास या असंगतता हो।

जहां तक सभी अभियुक्तगण की संलिप्तता एवं उनको दोष–सिद्ध किये जाने का प्रश्न है तो सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से एवं विशिष्टतः कहा है कि घटना में सभी अभियुक्तगण हथियार के साथ उपस्थित थे और सभी अभियुक्तगण ने घटना में प्रत्यक्ष रूप से गोली चलायी एवं जख्मियों को फायर आर्म इंजरी कारित की। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा–149 भी एक विधिक प्रतिपादित करती है कि जहां विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उदेश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उदेश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य हैं, उस अपराध का दोषी होगा। भा0दं0वि0 की धारा–149 के अनुसार भी कोई भी अभियुक्त इस बचाव को नहीं ले सकता है कि वह जख्मियों को गोली मारना नहीं चाहता था और जबकि प्रत्यक्ष रूप से अभियोजन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सभी अभियुक्तगण घटना में सक्रिय रूप से भागीदार थे तो अभियुक्तगण इस मामले में अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते हैं।

Web Copy not Official

जहां तक बात उनके द्वारा कारित किये गये अपराध का प्रश्न है, जिसके लिए उन्हें भा0दं0वि0 की धारा–307 अर्थात् हत्या के प्रयत्न के लिए आरोपित एवं विचारित किया गया है, में यह विधि स्पष्ट की गयी है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाय, तो वह अपराधी या जो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा इसके पूर्व वर्णित है। यहां पर अभियुक्त का आशय एवं ज्ञान महत्वपूर्ण है कि वह जख्म जिसको कि उसके द्वारा कारित किया गया है, क्या वह इस आशय एवं ज्ञान से किया गया है कि उससे मृत्यु कारित हो सकती है। इस संबंध में ***माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक–22 मई, 2026 को निर्णित आपराधिक अपील सं0–2207/2011 रौशन लाल अपीलकर्ता बनाम द स्टेट आफ हरियाणा व अन्य 2026 आई0एन0एस0सी0 524*** में स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल जख्म की गंभीरता के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण मृत्यु कारित करने का आशय या ज्ञान रखते थे। अभियुक्त के आशय या ज्ञान को अन्य परिस्थितियों जैसे कि घटना में प्रयुक्त हथियार कारित किये गये जख्मों एवं जख्मियों के पुनरावृत्ति को भी ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी तथ्य को पूर्व में **बिपिन बिहारी बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 (2006) 8 एस0सी0सी0 799 के निर्णय** के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आशय को अन्य कार्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए तथा संपूर्ण परिस्थितियों से यह निष्कर्ष लगाया जाना चाहिए कि अभियुक्तगण वास्तव में हत्या करने के आशय से जख्म कारित किये थे अथवा नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर जब इस विचारित मामले का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि न केवल जख्मियों को फायर आर्म इंजरी द्वारा गंभीर जख्म कारित किया गया बल्कि एक से अधिक जख्मियों को एक से अधिक जख्म कारित किया गया है और घटना में हथियार भी बिना किसी विवाद के घातक हथियार थे, वे केवल सामान्य लाठी एवं डंडा नहीं थे। अतः अभियुक्तगण के आशय एवं ज्ञान पर भी संदेह नहीं रह जाता है कि वे जख्मियों की हत्या करने के आशय एवं ज्ञान से जख्म कारित किये थे।

Web copy not official

इस प्रकार अभियोजन ने अपने मामले को बिना किसी संदेह के साबित किया है और अभियुक्तगण दोष–सिद्ध किये जाने के अधिकारी हैं।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
26.05.2026

लेखापित

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
26.05.2026

Web Copy not Official

दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई

02.06.2026 : –

दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया। दोष–सिद्ध अभियुक्तगण : **01. दीप राय,** पे0–स्व0 रामयाद राय, **02. नकेश्वर राय,** पे0–स्व0 विलासी राय, **03. जगदीश राय उर्फ जीशा राय,** पे0–स्व0 सबल राय, **04. नरेश राय,** पे0–स्व0 नेउल राय एवं **05. नागदेव राय**, पे0–स्व0 विलासी राय के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि घटना 35 वर्ष पुरानी है व दोष सिद्ध अभियुक्तों का प्रथम अपराध है और उनकी उम्र–85, 59, 50, 60 एवं 62 वर्ष है और वह परिवार का कमाने वाला सदस्य हैं, इसलिए दोष–सिद्ध अभियुक्तों की उम्र एवं अपराध की प्रकृति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसे न्यूनतम सजा दिया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री ख्वाजा अहमद खां ने दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई के क्रम में कहा कि दोष–सिद्ध अभियुक्तों के द्वारा जघन्य अपराध किया गया है। अतः दोष–सिद्ध अभियुक्तों द्वारा कारित अपराध समाज के विरूद्ध भी जघन्य अपराध है, इसलिए दोष–सिद्ध अभियुक्त को कठोर–से–कठोर सजा दिया जाय।

दंडादेश के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्थापित सिद्धांत का परिशीलन किया। दोष–सिद्ध अभियुक्त दीप राय की उम्र–85 वर्ष है एवं शारीरिक रूप से पूरी तरह से असक्षम है। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त दीप राय को अधिकतम अवधि का कारावास दिये जाने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं है और उनकी शारीरिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुमान लगाना भी गलत नहीं है कि वे न्यायिक जेल अभिरक्षा में कुछ दिनों तक जीवित भी रह पायेंगे फिर भी उन्हें उनके द्वारा किये गये कृत्य के लिए दंडित भी किया जाना आवश्यक है, इसलिए दोष–सिद्ध अभियुक्त दीप राय को मानवीय आधार पर यह न्यायालय अत्यंत अल्प अवधि के लिए दंडादेश देने के लिए विचार कर रहा है। अन्य अभियुक्तगण के संबंध में भी एक बात स्पष्ट है कि घटना लगभग 35 वर्ष पूर्व की है और इतना लंबा समय विचारण में लगना स्वयं ही अभियुक्तगण को दंड देने जैसा प्रतीत होता है। अतः उनके संबंध में भी यह न्यायालय अधिकतम दंड देना न्यायोचित नहीं समझती है। अतः संपूर्ण पर विचार करते हुए यह न्यायालय अभियुक्तगण को निम्नलिखित दंडादेश से दंडित करती है :–

01. दीप राय, पे0–स्व0 रामयाद राय को –

Web copy not official

भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास।

आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

(चूंकि अभियुक्त दीप राय की अधिकतम कारावास की अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गयी है और अभियुक्त पूर्व से जमानत पर भी थे, अतः दंड प्रकिया संहिता की धारा–389 के अधीन उन्हें, उनके द्वारा इस आशय का आवेदन कि वे माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करके जमानत ले लेंगे, देने पर उनके द्वारा दिये गये बंध–पत्र पर अस्थायी तौर पर मुक्त कर दिया जायेगा)

Web copy not official

02. नकेश्वर राय, पे0–स्व0 विलासी राय,

भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास।

आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

03. जगदीश राय उर्फ जीशा राय, पे0–स्व0 सबल राय,

भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास।

आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

04. नरेश राय, पे0–स्व0 नेउल राय

भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास।

आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

05. नागदेव राय, पे0–स्व0 विलासी राय

भा0दं0वि0 की धारा–307 के अधीन 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।
भा0दं0वि0 की धारा–148 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न दिये जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास।
आर्म्स एक्ट की धारा–27 के अधीन तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी। दोष–सिद्ध अभियुक्तों द्वारा कारावास में बितायी गयी निरोध की अवधि दंडादेश की अवधि में से दं0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत मुजरा किया जायेगा तथा जुर्माने की संपूर्ण राशि पीड़ित को दं0प्र0सं0 की धारा–357 के उपबंधों के अंतर्गत अभियोजन में हुए व्यय एवं उससे हुई हानि के लिए प्रतिकर के रूप में प्रदान किया जायेगा।

Web copy not official

इस मामले में सभी जख्मी व्यक्ति पीड़ित की परिभाषा में आते हैं अतः कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि निर्णय की एक प्रति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–357ए व बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पीड़ितगण को प्रतिकर प्रदान किये जाने हेतु, विद्वान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, वैशाली के कार्यालय में भेंजे तथा निर्णय की एक प्रति जिला दंडाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में भेंजे और निर्णय की एक–एक प्रति सभी पांचों दोष–सिद्ध अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
02.06.2026

लेखापित

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
02.06.2026

Date of Judgment/Order	26-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	13-05-2026
Uploading Date	02-06-2026
Hearing on point of sentence	02-06-2026
Uploaded by	Anand Kumar

Web Copy not Official